मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 233 / 2024

1. बुटा सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जटसिख साकिन 4 बीबी हाल वार्ड नं. 03 मंडी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

———वादी

बनाम

1. सुंगरा बेगम पत्नी असगरअली जाति मुस्लमान साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

———प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 15/10/25

वादीगण की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र रिकार्ड का अवलोकन के बाद वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिकी किया जाता है एवं ओदश दिया जाता है कि चक 4 एलकेएस ए खाता संख्या 9 / 8 की कुल 12.663 में से 0.759 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / आदि यथावत् ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:33:59 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15/10/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा